12 फरवरी 1921 में रखी गई थी संसद भवन के नींव की पहली ईंट। इसके निर्माण में छह साल का समय लगा था और 83 लाख रुपये का खर्च आया था। संसद भवन की इमारत की संरचना सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी।

पोर्न साइट पर पूर्ण रोक मुमकिन नहीं : रविशंकर

खड़े किए हाथ ▶ बिहार के सीएम के पत्र पर केंद्रीय कानून मंत्री ने जताई असमर्थता

नीतीश ने पत्र लिखकर इस बारे में केंद्र सरकार से कड़ाई बरतने का किया था आग्रह

राज्य ब्यूरो, पटना

भारत सरकार ने पोर्न वेबसाइट पर पूरी तरह से रोक लगा पाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हालांकि सरकार इस दिशा में हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध मुमकिन नहीं हैं।

रविशंकर प्रसाद रविवार को पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री को पोर्न वेबसाइट पर पूर्व प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में लिखे पत्र के सवाल पर यह जवाब दिया। प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा हैं। मैंने इसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बकौल रविशंकर,सरकार एक वेबसाइट को बैन करती है, तब तक लोग दूसरे नाम से वेबसाइट बनाकर संचालित करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर चिंता भी जताई। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में चल रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में साफ किया कि सीएए न तो किसी नागरिकता छीनता हैं और न तो लेता हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद रविवार को पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते हुए। प्रेट्र

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं पर कुछ नहीं बोलेंगे

केंद्रीय मंत्री ने एनआरसी समेत विभिन्न मुद्दों पर जदयू प्रवक्ताओं की ओर से दिए गए बयान पर बोलने से इन्कार कर दिया। कहा कि हम केसी त्यागी के बयानों पर कुछ नहीं बोलेंगे। जदयू और लोजपा एनडीए का हिस्सा हैं। हम लोगों की नीतीश कुमार से बात हो जाती है। इसलिए प्रवक्ताओं के बयान पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं हैं।

राजद दें जवाब

बिहार बंद के दौरान तोड़फोड़ पर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा बेबुनियाद हैं। इस पर चर्चा करने और जोड़ने का कोई मतलब नहीं। राजद जवाब दे कि ऑटो का शीशा तोड़ा जाता है, बंद के दौरान हिंसा फैलाई जाती है क्या वे इसका समर्थन करते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको हैं। लेकिन हमें चाहिए आजादी, आजादी.., भारत तेरे टुकड़े होंगे और देश विरोधी नारे लगाने वालों की खैर नहीं हैं। विपक्ष प्रयोजित हिंसा फैला रहा है।

अश्लीलता रोकने में वाट्सएप जैसे प्लेटफार्म नहीं कर रहे सहयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के मुद्दे व बच्चों पर इसके प्रभावों की पड़ताल कर रहे राज्यसभा के एक पैनल को सरकारी अधिकारियों ने बताया कि वाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफार्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला देते हुए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं। यहां तक कि कानून के तहत किए गए अनुरोध का भी वे सम्मान नहीं करते हैं। बता दें कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का अर्थ है कि संदेश तक सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले की पहुंच होती है। कोई और इस बारे में नहीं जान सकता।

सांसदों का यह पैनल सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के मुद्दे और बच्चों पर इसके प्रभावों की पड़ताल कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी और बच्चों तथा समाज पर इसके प्रभाव के खतरनाक मुद्दे पर एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल में 10 राजनीतिक दलों के 14 सदस्य शामिल हैं और इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। पैनल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार नियामक ट्राई और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से इस बारे में चर्चा की है।

मंत्रालय के अधिकारियों ने पैनल के समक्ष कहा कि उन्हें पोर्नोग्राफी के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से जानकारी जुटाने में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जब सूचना या जांच की बात कही जाती है तो (वे) कहते हैं कि वे मेजबान देश के कानून से संचालित हैं। गौरतलब है कि इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि समिति अगले महीने अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। पैनल के अन्य सदस्यों में अमर पटनायक, अमी याग्निक, डोला सेन, जया बच्चन, कहकशां परवीन, राजीव चंद्रशेखर, एमवी राजीव गौड़ा, रूपा गांगुली, संजय सिंह, तिरुचि शिवा, वंदना चव्हाण, विजिला सत्यनाथ और विनय पी सहस्त्रबुद्धे शामिल हैं।

सांसद प्रज्ञा ने की स्पाइस जेट की शिकायत,कंपनी की सफाई

▶ सीट को लेकर हुए विवाद में 45 मिनट देर हो गई थी फ्लाइट

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा सांसद और फायरब्रांड नेता प्रज्ञा ठाकुर ने विमानन कंपनी स्पाइस जेट के खिलाफ आवंटित सीट पर न बैठने देने की शिकायत की है। विमानन कंपनी ने रविवार को सफाई देते हुए कहा कि ठाकुर को तकनीकी कारणों से वैकल्पिक सीट उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसके लिए वह तैयार नहीं थीं। उन्हें मनाने के तमाम प्रयास किए गए जो नाकाम रहे। इस कवायद में उड़ान में भी 45 मिनट की देरी हुई।

दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने हवाईअड्डे के बाहर शनिवार को मीडिया से कहा था कि उन्होंने निजी विमानन कंपनी की फ्लाइट संख्या एसजी2489 में 1ए सीट बुक की थी। लेकिन, उन्हें उस सीट पर नहीं बैठने दिया गया। यहां तक कि एयरलाइन स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं था। हवाईअड्डे के निदेशक अनिल विक्रम ने शिकायत मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सोमवार को विचार किया जाएगा।

स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली-भोपाल फ्लाइट के लिए बंबाडियर क्यू400 का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहली कतार की सीट ह्वील चेयर वालों को आवंटित नहीं की जाती है। सांसद ठाकुर ने बुकिंग के समय एयरलाइन से ह्वील चेयर की मांग नहीं की थी। इसलिए, स्टाफ को नहीं पता था कि वहां कौन बैठने जा रहा है। वह निजी ह्वील चेयर लेकर आई थीं। ऐसे में उनसे 2बी सीट पर बैठने के लिए आग्रह किया गया। इसके लिए वह तैयार नहीं थीं। उन्हें मनाने में करीब 45 मिनट लग गए। इस बीच, दूसरे यात्री सांसद ठाकुर को फ्लाइट से उतारने की मांग भी करने लगे थे।

प्रज्ञा ठाकुर फाइल फोटो

बंगाल के नए कानून से कुलाधिपति की स्वतंत्र, निडर पहुंच पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ राज्य के विवि तक कुलाधिपति की भयमुक्त पहुंच से समझौता किया गया : धनखड़

▶ कार्यक्रम रद होने के पीछे प्रशासन द्वारा समर्थित गैर सरकारी तत्व जिम्मेदार

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विधानसभा द्वारा पारित नए कानून ने विश्वविद्यालयों के साथ उनके संवाद को प्रतिबंधित कर दिया है। इस कानून से शैक्षिक संस्थान तक कुलाधिपति की स्वतंत्र और निडर पहुंच पर रोक लग गई है। ज्ञात हो, जादवपुर विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षा समारोह को रद किए जाने पर धनखड़ पहले ही निराशा जाहिर कर चुके हैं।

राज्यपाल ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'नए कानून से कुलाधिपति की स्वतंत्र, निडर पहुंच' पर रोक लगी है। उन्होंने बिल को 'असंवैधानिक' बताते हुए कहा कि हर किसी को स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। 'नए कानून के तहत कुलपतियों के कुलाधिपति के साथ सभी संवाद विभाग के सचिव के माध्यम से होंगे।

कुलाधिपति की स्वतंत्र एवं भयमुक्त पहुंच से समझौता किया गया है।' उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर को पारित विधेयक के नियमों के तहत कुलाधिपति द्वारा राज्य-सहायता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किया जाने वाला संवाद (उच्च शिक्षा) विभाग के माध्यम से होगा। इस नियम के जरिये कुलपति उच्च शिक्षा विभाग के साथ विचार -विमर्श कर निर्णय लेने से जुड़े अपने सर्वोच्च निकायों की बैठकें बुला सकेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों के रद होने के पीछे प्रशासन द्वारा समर्थित गैर सरकारी तत्व जिम्मेदार है। गौर हो कि जादवपुर विवि का विशेष दीक्षा समारोह रद होने के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किए जाने के बाद धनखड़ ने शनिवार को कहा था कि व्यवस्थित रूप से राज्य सरकार कुलाधिपति पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही हैं।

जगदीप धनखड़ फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिलेंगे 177 करोड़ रुपये

केदार दत्त, देहरादून

▶ उप्र वन निगम के पास लंबित है उत्तराखंड की 425 करोड़ की हिस्सेदारी

▶ दोनों राज्यों के मध्य परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला सुलझने की उम्मीद जगी

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य परिसंपत्तियों के बंटवारे के मसले सुलझने की उम्मीद जगी है। इस कड़ी में दोनों सरकारों के स्तर पर हुए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वन निगम के पास जमा उत्तराखंड की 425 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी में से 177 करोड़ की रकम जल्द ही सूबे को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश ने प्रथम चरण में यह राशि देने पर सहमति जताई है। शेष धनराशि को लेकर दोनों राज्यों के बीच विमर्श चल रहा है। हिस्सेदारी की रकम मिलने से उत्तराखंड वन विकास निगम को अपनी माली हालत सुधारने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद बंटवारे में उत्तराखंड वन विकास निगम के हिस्से में 425.23 करोड़ रुपये की राशि आई थी। कार्मिकों के मामले में जो जहां कार्यरत है, उसे वहीं का मान लिया जाए, को आधार बनाया गया। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिलाया था कि उत्तराखंड को उसके हिस्से की 425.23 करोड़ की रकम जल्द उसे दी जाएगी। कई दौर के मंथन के बावजूद मसला अनसुलझा ही रहा। न तो राशि जारी हुई, न इसका कारण बताया गया।

उत्तराखंड वन विकास निगम के भी लाभ में चलने के कारण इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब जबकि निगम की वित्तीय स्थिति खराब हुई तो उसने यह मसला भी प्रमुखता से रखा। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बीती 17 अगस्त को दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव स्तर की बैठक में भी ये मसला उठा।

वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के अनुसार, उप्र से वन विकास निगम की हिस्सेदारी चरणबद्ध ढंग से मिलेगी। प्रथम चरण में वन निगम ने रिजर्व एंड सरप्लस मद में 177.04 करोड़ देने पर सहमति दी है। निगम के प्रबंध निदेशक मोनिष मल्लिक के अनुसार, बकाया राशि निगम की वित्तीय सेहत सुधारने में मददगार साबित होगी।

डॉ.हरक सिंह रावत फाइल फोटो

पुलिसवालों के शौर्य और बलिदान से ही हम रहते हैं महफूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ की। उग्र आंदोलन के दौरान उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस बलों को निशाना बनाए जाने पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि हमें महफूज रखने के लिए ही ये जांबाज सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना जान को हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। जनता को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हजारों जवान बलिदान दे चुके हैं। इंडियन पुलिस जर्नल के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 34 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं।

बहराइच में उपद्रवियों को खदेड़ती पुलिस (फाइल फोटो)

2017 में पुलिस हताहतों का विवरण (शहीद हुए)

कुल	आतंकी घटनाओं में	नक्सली घटनाओं में	एंटी डकैती ऑपरेशन	दंगों में	आपराधिक तत्वों द्वारा	खुद के हथियार से दुर्घटना	दुर्घटना
840	79	17	2	218	9	13	502
घायल हुए							
2684	95	53	77	1513	591	5	350

34 हजार से ज्यादा शहीद

आजादी के बाद से भारतीय पुलिस ने उल्लेखनीय काम किया है। इंडियन पुलिस जर्नल के अनुसार, आजादी के बाद 1957 तक देश में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 557 थी। 2018 में इनकी अब तक की कुल संख्या 34842 पहुंच गई।

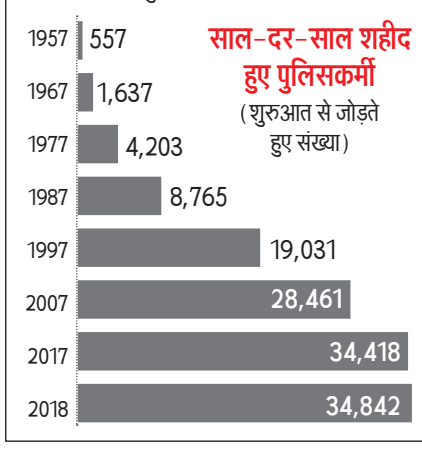

सबसे पहले प्रतिक्रिया का दायित्व

पुलिस सरकार की पहली एजेंसी है जो लोगों को जरूरत होने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है। फिर चाहे देश में कोई आतंकी हमला हो या फिर साधारण अपराध, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति हो या फिर कोई तबाही, हर वक्त पुलिस सामने होती है। शांतिपूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है।

पुलिसकर्मियों की कमी

भारत में पुलिसकर्मियों की कमी है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के मुताबिक प्रति एक लाख लोगों पर करीब 230 पुलिसकर्मी होने चाहिए। एनसीआरबी के 2013 के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय औसत 141 है। उत्तर प्रदेश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या 78, बिहार में 77, राजस्थान में 115, मध्यप्रदेश में 112 है। यह आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि एक पुलिसकर्मी को अपने काम को किस तरह से अंजाम देना होता है।

पुलिस में ये हैं शामिल

जब हम राज्य पुलिस की बात करते हैं तो वह संबंधित राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बल जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, आइटीबीपी, एनएसजी ऐसे बल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने विशेष कार्यों के लिए रखा है।

अरावली में 92 लोगों ने 500 एकड़ जमीन पर बनाए अवैध फार्म हाउस

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद

▶ करोड़ों के चालान किए, कई एफआइआर दर्ज हुई, पर नहीं हो सकी तोड़फोड़

▶ नगर निगम, वन विभाग, डीटीपीई व पंचायती विभाग कार्रवाई को लेकर उलझे आपस में

अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में करीब 500 एकड़ जमीन पर 92 लोगों ने कब्जा कर लिया है। किसी ने पांच तो किसी ने 20 एकड़ तक जमीन को फार्म हाउस में तब्दील कर दिया है। इनमें से काफी लोगों पर केस दर्ज किए गए, लाखों रुपये का जुर्माना किया गया। कार्रवाई के नाम पर आजतक न तो एक रुपये की भी वसूली हो सकी। न ही अवैध निर्माण को तोड़ा जा सका। कुछ इस तरह की रिपोर्ट वन विभाग ने उच्चाधिकारियों को भेजी है। रिपोर्ट की एक प्रति सेव अरावली ट्रस्ट को भी दी गई है।

सेव अरावली ट्रस्ट ने वन विभाग से शिकायत की थी कि अरावली क्षेत्र में स्थित अंखीर, अनंगपुर, लकड़पुर, मेवला महाराजपुर और बड़खल गांव में 140 अवैध फार्म हाउस बनाए गए हैं। जवाब तलब किए जाने पर जिला वन अधिकारी ने रिपोर्ट तैयार कर आला अफसरों को भेज दी। अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के बारे में यह तर्क दिया गया है कि तोड़फोड़ की जिम्मेदारी नगर निगम की है क्योंकि मालिकाना हक निगम का ही है।

> अरावली में लोगों ने अवैध रूप से फार्म हाउस बना लिए और प्रशासन कुछ न कर सका। इसकी सूचना नगर निगम सहित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी ताकि कार्रवाई हो सके।
> – **जितेंद्र भडाना, संस्थापक, सेव अरावली**
> अवैध फार्म हाउस तोड़ने का अधिकार क्षेत्र नगर निगम का है। नगर निगम का इस जमीन पर मालिकाना हक है। उनकी ओर से रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। जो कार्रवाई बनती थी, वह करा दी गई है।
> –**सुरेश पूनिया, वन अधिकारी**

पूर्व निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने तैयार कराई थी रिपोर्ट : पूर्व निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने 140 अवैध फार्म हाउस की रिपोर्ट तैयार कराई थी। जमीन मालिकों की जानकारी के लिए जिला उपायुक्त को पत्र लिखा गया था। कई माह तक इसकी जांच ही नहीं की जा सकी। इस दौरान मोहम्मद शाइन का तबादला हो गया।

सेव अरावली ने इस मामले में शासन को ढेरों शिकायतें भेजी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि वन विभाग यह तय नहीं कर पाया है कि यहां किस-किसने कब्जा किया हुआ है और इन पर क्या-क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। इस मामले की जांच प्रिंसीपल कंजेवेटर ऑफ फॉरेस्ट (पीसीसीएफ) के पास भी चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है अवमानना नोटिस : पिछले दिनों अरावली में अवैध खनन, निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिला उपायुक्त, खनन अधिकारी व दो अन्य को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। जिला बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के प्रधान एलएन पाराशर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि अरावली में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अब भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरावली पर अब भी अवैध निर्माण और अवैध खनन जारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालत का फैसला बदला

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालत के एक फैसले को पलट दिया है। सेना की कोर्ट ऑफ इनक्वायरी (सीओआइ) के तहत एक ब्रिगेडियर पर जूनियर अफसरों और ठेकेदारों से रकम मांगने और वित्तीय धांधलियां करने के आरोप लगे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेना को इस मामले में नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

ब्रिगेडियर एलआइ सिंह के खिलाफ यह मामला 2012 से चल रहा है। सिक्किम स्थित 164 माउंटेन ब्रिगेड और सुकना स्थित 33वीं कोर के ब्रिगेडियर एलआइ सिंह के बाद यह पदभार संभालने वाले सैन्य अफसर ने उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की जांच बैठाई थी। उन पर अपने आधिकारिक निवास से सरकारी संपत्ति में हेरफेर करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट में आरोपित सैन्य अफसर ने अपील के दौरान अपने वकील मेजर सुधांशु पांडे के जरिए कहा कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में एकल पीठ ने जांच की थी और उन्हें गवाहों से पूछताछ का मौका भी नहीं दिया गया था। इसलिए इस जांच को खारिज किया जाना चाहिए। जोरहाट डकैती केस में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह ने आरोपित ब्रिगेडियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद ही वर्ष 2012 में जांच शुरू हो गई थी। जनरल दलबीर वर्ष 2014 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए थे। जस्टिस एल. नागेश्वर राव के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन मैन इन्क्वारी से जांच में कोई गफलत नहीं हुई है।

हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपितों का दोबारा पोस्टमार्टम आज

▶ एम्स ने बनाई तीन डॉक्टरों की विशेष टीम,वेटनरी डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : एम्स ने हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपितों के शवों के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तीन डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है। टीम सोमवार सुबह नौ बजे हैदराबाद स्थित गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में आरोपितों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी।

एम्स की तरफ से तेलंगाना के विशेष सचिव को भेजे गए पत्र के अनुसार, डॉक्टरों की टीम का नेतृत्व एम्स के फोरेंसिक प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता कर रहे हैं, जबकि इसमें डॉ. आदर्श कुमार व डॉ. वरुण चंद्रा शामिल हैं। डॉक्टरों को प्राप्त सुबूतों के आधार पर स्वतंत्र रिपोर्ट देने को कहा गया है। पोस्टमार्टम के बाद चारों आरोपितों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए।

ज्ञात हो, 28 नवंबर को 25 वर्षीय महिला वेटनरी डॉक्टर का जला हुआ शव बरामद हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि छह दिसंबर को मौके पर ले जाकर पूछताछ के दौरान आरोपितों ने टीम पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में चारों मारे गए थे। पहली बार उसी दिन मह बूबनगर के सरकारी अस्पताल में चारों आरोपितों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ था।

हालांकि, एनकाउंटर को हत्या करार देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन पर हाई कोर्ट ने आरोपितों के शवों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद से उनके शव गांधी अस्पताल में रखे हैं। हाई कोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 23 दिसंबर से पहले चारों आरोपितों के शवों का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों की टीम से करवाए।

जांच हो अनिवार्य

हर मां-बाप अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने देना चाहता है, इस दौरान वह अनजाने में बच्चे की सेहत को नजरअंदाज कर देता है।

आयातित खिलौनों की क्वालिटी पर मंत्रालय सख्त

नई दिल्ली, प्रेट्र: आयातित खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इन कदमों की बदौलत देश में केवल अच्छी क्वालिटी के खिलौनों की बिक्री सुनिश्चित होगी। एक अधिकारी के मुताबिक आयात के मामले में खिलौनों की खेप आधारित जांच अनिवार्य करने पर काम चल रहा है।

देश में खिलौनों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के ये सभी नियम-कायदे 'क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया' की एक अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर लागू किए जा रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए है, क्योंकि देश में बिकने वाले लगभग 85 प्रतिशत खिलौने आयातित होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, 67 फीसदी खिलौने सुरक्षा मानकों की जांच में फेल हो गए, जबकि 30 फीसदी प्लास्टिक खिलौने सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय खिलौना उद्योग के लिए कड़े गुणवत्ता नियम लागू करने की संभावनाएं खंगाल रहा है। नियमों का उल्लंघन न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए खिलौनों की परिभाषा पूरी तरह स्पष्ट की जाएगी। घरेलू बाजार में सस्ते और घटिया खिलौनों की बाढ़ रोकने में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा है कि देश में केवल अच्छी क्वालिटी के खिलौनों का आयात पक्का करने के लिए हर खेप में से अपनी इच्छा से कोई भी सैंपल ले लिया जाएगा और जांच एवं मंजूरी के लिए उसे मान्यता-प्राप्त लैब भेज दिया जाएगा। यदि सैंपल जरूरी मानदंडों पर खरा नहीं उतरेगा तो वह खेप या तो वापस भेज दी जाएगी या फिर उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे खिलौनों को नष्ट करने के खर्च की वसूली आयातक से की जाएगी।

क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की स्टडी रिपोर्ट

- **67** प्रतिशत खिलौने सुरक्षा मानकों की सभी जांच में फेल
- **30** प्रतिशत प्लास्टिक खिलौने सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं
- **80** प्रतिशत खिलौने मैकेनिकल एवं फिजिकल सेफ्टी मानकों पर फेल
- **45** प्रतिशत सॉफ्ट टॉयज में स्वीकृत स्तर से ज्यादा हैवी मेटल
- **75** प्रतिशत इलेक्ट्रिक खिलौने मैकेनिकल मानकों पर फेल

प्रतीकात्मक फोटो

साहित्य अकादमी विजेता डॉ. नंजुंदन घर में मृत पाए गए

बेंगलुरु, प्रेट्र : प्रसिद्ध अनुवादक और साहित्य अकादमी विजेता डॉ. जी. नंजुंदन अपने आवास पर मृत पाए गए। वह 58 वर्ष के थे। उनका शव नगादेवनहल्ली स्थित अपार्टमेंट में शनिवार को बरामद हुआ है। पुलिस को संदेह है कि कार्डियक अरेस्ट (हृदय गति रुकने) के कारण करीब चार दिन पहले उनकी मौत हो गई होगी।

डॉ. नंजुंदन ने दर्जनों कन्नड़ किताबों का तमिल में अनुवाद किया। वही उनकी ख्याति का मूल आधार बने। अनुदित किताबों में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता यूआर अनंतमूर्ति की 'भव' और 'अवस्थे' शामिल हैं। उन्हें वर्ष 2012 में 'अक्का' के लिए अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला। यह विभिन्न कन्नड़ लेखिकाओं की लघु कथाओं का संग्रह है, जिनका उन्होंने तमिल में अनुवाद किया है। पुलिस के मुताबिक, डॉ. नंजुंदन बेंगलुरु विश्वविद्यालय में सांख्यिकी के प्रोफेसर थे और कई दिनों से पढ़ाने नहीं आए थे।

कह के रहेंगे माधव जोशी